P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-IV* ISSUE-I*September-2016
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास

रीता बुन्देला
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (अतिथि व्याख्याता)
राजनीति विज्ञान विभाग,
शा.नवीन कॉलेज,
नौगांव ,छतरपुर, म.प्र.

सारांश

पंचायती राज साधन है और ग्रामीण विकास साध्य है। इस संदर्भ को ध्यान में रखकर पंचायती राज में ग्रामीण विकास पर चर्चा करना प्रासंगिक होगा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्राचीन परम्परा है और हमारे समय में भी इस परम्परा ने अपना महत्व और प्रासंगिकता स्थापित की है। पंचायत राज ही वह माध्यम है जिसके द्वारा प्रशासन और ग्रामीण मिलकर ग्राम विकास कर सकते हैं। भारत जैसे विशाल देश में पंचायती राज को क्रियान्वित करना एक बहुत कठिन कार्य था लेकिन शासन और जनता की भागीदारी ने इसे काफी हद तक सफल बनाया है। यह सकारात्मक पक्ष हमें आसान्वित करता है कि पंचायती राज व्यवस्था को अधिक से अधिक अधिकार सम्पन्न बनाया जाये, तो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की कल्पना जरूर एक दिन अधिक साकार रूप में हमें दिखायी देगी।

मुख्य शब्दः पंचायत, ग्राम स्वराज्य, स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण विकास, सत्ता का विकेन्द्रीकरण, लोक तंत्रात्मक राज्य,

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक राष्ट्र है, किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र की सफलता व सार्थकता इस पर निर्भर करती है कि प्रभुत्व शक्ति अधिकाधिक मात्रा में जनता में निहित है, इस प्रभुत्व शक्ति का अधिक से अधिक विस्तार हो, बिखराव हो, विकेन्द्रीकरण हो। पंचायत राज्य व्यवस्था निश्चय ही इस दिशा में एक अनुकरणीय व प्रशंसनीय प्रयास है। यह व्यवस्था न केवल जनता व प्रतिनिधियों में लोकतांत्रिक चरित्र का सृजन करती है। नवीन नेतृत्व को उभारती है वरन जनता व जनप्रतिनिधियों को इस योग्य भी बनाती है कि वे उच्च स्तर पर लोकतांत्रिक शासन में भाग ले सकें। वस्तुतः भारत प्रजातांत्रिक राष्ट्र होने के साथ–साथ ग्राम प्रधान राष्ट्र है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है और ग्रामों में पंचायतें ही व्यवस्था का आधार हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन भारत में वैदिक युग, महाभारत काल, लिच्छवी, मालवा व यादव गणतंत्र में ऐसी ही संस्थायें विद्यमान थीं, किन्तु जहां तक स्वतंत्रोत्तर भारत में इस व्यवस्था के श्री गणेश का प्रश्न है, तो सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता अध्ययनदल की सिफारिशों के अनुसार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर क्षेत्र से त्रि–स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। इस व्यवस्था का लक्ष्य था पंचायतों को सत्ता में भागीदार बनाना, ग्रामीण नेतृत्व को उभारना, ग्रामों को आत्मनिर्भर व स्वशासी बनाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था निति निर्देशक तत्वों का एक भाग थी किन्तु विडंबना यह थी कि इस व्यवस्था को लागू करना या न करना यह राज्यों का स्वेच्छिक मामला था, परिणाम यह हुआ कि यह व्यवस्था 1993 में आधे–अधूरे रूप में ही लागू हो पायी। भारतीय संसद के 73वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधानिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी, जिससे यह व्यवस्था नीति निर्देशक तत्व न रहकर कानून बन गयी। इस 73वें संशोधन अधिनियम का अनुपालन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। जहां एक नया पंचायती राज अधिनियम (त्रि–स्तरीय व्यवस्था) 25 जनवरी 1994 से प्रभारी हो गया और निरन्तर अपनी प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था अत्याधिक उपयोगी है, इसलिये इसे अनेक अधिकार, साधन और जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं।

पंचायती राज का महत्व

1. पंचायत राज व्यवस्था भारत में प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था को ठोस आधार प्रदान करती हैं। जिसके कारण शासन जनता द्वारा संचालित होता है और ग्रामीण वासियों की भी शासन व्यवस्था के प्रति रूचि जाग्रत होती है।

2. पंचायतें प्रजातंत्र की प्रयोग शालायें होती हैं जो राजनीतिक अधिकारों के लिये नागरिकों को शिक्षा देती है, साथ ही नागरिक गुणों का विकास करती हैं।
3. केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की समस्याओं को भी पंचायती संस्थायें कम करती हैं, क्योंकि शासकीय शक्तियों एवं कार्यो का विकेन्द्रीकरण होता है जिसके कारण शासकीय सत्ता गिने–चुने लोगों के हाथ में न रहकर पंचायती कार्यकर्ताओं के हाथ में पहुंच जाती है।
4. हमारी ग्रामीण जनता पंचायती राज व्यवस्था के कारण शासन के करीब पहुंच जाती है, परिणाम स्वरूप जनता एवं शासन में एक दूसरे की समस्याओं को समझने व उसके समाधान हेतु भावनायें उत्पन्न होती हैं जिससे ग्रामीण उत्थान संभव होता है।
5. पंचायतों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनैतिक व्यवस्था के बीच की कड़ी है, इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारंभ किये हुये राष्ट्र निर्माण के क्रिया कलापों का चलन कठिन होता है, इन लोगों के बिना सरकारी अधिकारियों को काम भी मुश्किल हो जाता है।
6. भारत का भावी नेतृत्व करने हेतु यह अत्यन्त सुदृढ़ एवं शक्तिशाली संस्थायें हैं, विधायकों एवं मंत्रियों को प्राथमिक अनुभव एवं प्रशिक्षण प्रदान करती हैं जिससे वे ग्रामीण समस्याओं से अवगत होते हैं।
7. पंचायती राज के माध्यम से उत्साही कार्यकर्ताओं को स्थान मिल गया है और उन्हें आगे बढ़ने के लिये प्रशिक्षण एवं ट्रेनिंग की सुविधायें उपलब्ध हो गयी हैं।
8. पंचायत राज का दूरगामी प्रभाव यह हुआ कि ग्रामीण राजनीति में गतिशीलता बढ़ गयी है, ऐसी व्यवस्था की गयी जिससे कि गांव के सरपंच अपने अधिकारों का प्रयोग न्यायोचित दूरदर्शिता के साथ कर सकेंगे एवं राजनैतिक अनुशासन को बनाये रखेंगे।
9. 73वें संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ी जाति एवं महिलाओं के विकास हेतु पंचायती राज व्यवस्थाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है जिससे कि उनमें नवीन चेतना का विकास हो रहा है।
10. इस व्यवस्था के माध्यम से सम्पर्क सूत्र की राजनीति का विकास हुआ है, गांव व जिले राज्यों के मुख्यालयों से जुड़ने लगे हैं।

अतः इस प्रकार गांव में उचित नेतृत्व का निर्माण करने एवं विकास कार्यो में जनता की रूचि बढ़ाने में पंचायतों का योगदान प्रभावी भूमिका में साबित हो रहा है। स्पष्ट है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता हेतु पंचायती राज व्यवस्था का होना अति आवश्यक है, इसका मूल उद्देश्य ग्रामीण विकास और जनता के मध्य तदात्म स्थापित करना है।

प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार

इन संस्थाओं ने नये नेताओं को जन्म दिया है जो आगे चलकर राज्य और केन्द्रीय सभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। पंचायत राज व्यवस्था ने देश सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश को आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर किया है तथा भारतीय राजनैतिक व्यवस्था की उपस्थिति में ग्रामीण जनता को जागरूकता प्रदान की है। किन्तु यह कहना असत्य होगा कि विगत कुछ वर्षो से इन संस्थाओं में विशेष उत्साह नहीं दिखा है। ये ग्रामीणों में नवीन विश्वास आस्था, चेतना स्थापित करने में असफल रही हैं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ये संस्थायें असफल हो गयी हैं। कुछ राज्यों में तो इनके कार्य सराहनीय हैं और इसके अन्तर्गत नागरिक सुविधाओं का अधिकाधिक ध्यान रखा गया है।

भारतीय पंचायत राज के समक्ष अनेक समस्यायें हैं जिनका निराकरण करने से पंचायत राज व्यवस्था में सही अर्थो में सार्थकता दिखायी देगी, यह समस्यायें थमेगी तब वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण होगा तभी ग्रामीण शासन के कार्यो का संचालन स्वयं करेंगे।

अतः कुछ प्रभावी समस्याओं के होते हुये भी ग्रामीण नेतृत्व विकसित हो रहा है, क्योंकि सरपंच प्रधान व जिला प्रमुख अधिक प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। पंचायत राज के माध्यम से भारत की शासन प्रणाली में एक नवीन एवं सजीव प्रण की नींव रखी जा चुकी है और इसके परिणाम स्वरूप भारत की पंचायती राज व्यवस्था में उतार–चढ़ाव देखने को मिलते हैं। पंचायती राज संस्थायें एवं नेतृत्व गावों को सही दिशा में जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है, पंचायत राज व्यवस्था में व्याप्त बुराईयों पर काबू पाने के लिये वास्तविक सत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक स्थानीय संस्थाओं की स्थापना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में लोकतांत्रिक स्वरूप प्रायः लुप्त होता जा रहा है। अतः पंचायती राज संस्था के माध्यम से ही ग्रामीण नागरिकों को सही दिशा प्रदान कर पायेंगे तभी देश का वास्तविक अर्थ में विकास संभव है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य है कि पंचायती राज व्यवस्था के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करना।

1. पंचायती राज ने राजनीति को ग्राम स्तर तक ला दिया है, ग्रामीण जनता में राजनीतिक चेतना की अधिवृद्धि अधिक हो सकती है।
2. मतदाता, मतदान की शक्ति को पहचान गये हैं तथा आज अनुभव करने लगे हैं कि धर्म–कर्म में ही जीवन की इतिश्री नहीं है। प्रत्युत सामाजिक आयोजन एक वास्तविक आवश्यकता है।
3. यह बाताना है कि राजनीतिक दल कम से कम वाह्य स्तर पर विभिन्न जातियों के सदस्यों को एक दूसरे के पास जाने और ऊंच–नीच के भेदभाव को कम करने का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार नेतृत्व के क्षेत्र में जातीय प्रभुता की धारणा महत्वहीन होती जा रही है।
4. शोध पत्र का उद्देश्य है कि पंचायती व्यवस्था के माध्यम से गांव में हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग, पेशेवर व्यवसायों का स्थापित और संरक्षित करके ग्रामीण वासियों को अधिक मजबूती प्रदान हो सकेगी।

5. शोध का उद्देश्य पंचायती राज व्यवस्था की वर्तमान समय में उपयोगिता है, इसलिये अधिक से अधिक शक्तियां प्रदान की जाये जिसे ग्रामीण समस्याओं का समाधान समय पर हो सकेगा।
6. आगामी समय में पंचायती व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका से ग्रामीण और प्रशासन के मध्य तालमेल में अधिक तादात्म स्थापित होगा।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में पंचायती राज व्यवस्था की अत्याधिक उपयोगिता है, इसलिये इसे अनेक अधिकार, साधन और जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं। पंचायत राज का संबंध ग्रामीण विकास से संबंधित है, ग्रामीण विकास पर ही भारत का विकास निर्भर है। अतः पंचायती राज की सफलता हेतु आवश्यक है कि समस्याओं का अधिकाधिक समाधान किया जाये। नीतियां एवं कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर बनाये एवं लागू किये जायें और ग्रामीण समस्याओं के प्रति हमारी राजनेता सचेत रहें, क्योंकि पंचायती राज के पीछे जो विचार धारा निहित है, वह यह कि गांव के लोग अपने शासन का उत्तरदायित्व स्वयं संभालें, यही महान आदर्श है। इसलिये भारत की ग्रामीण जनता के विकास हेतु पंचायती राज ही एक मात्र उपाय है, पंचायतें ही हमारे राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है जिस पर संपूर्ण शासन व्यवस्था आधारित है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जैन एवं फड़िया – भारतीय शासन एवं राजनीति
2. रजनी कोठारी – पॉलिटिक्स इन इंडिया
3. जैन एस.सी. – ग्रामीण विकास की परिकल्पना में पंचायती राज व्यवस्था की भूमिका
4. भारतीय लोकतंत्र समस्या एवं समाधान – महेश्वर सिंह साहित्यगार जयपुर
5. चन्दन सिंह, गौरीशंकर राय बीना – मध्य प्रदेश में पंचायती राज
6. सी.पी.भाम्भरी – लोक प्रशासन, सिद्धान्त एवं व्यवहार
7. डॉ. श्यामलाल पाण्डेय – वेदकालीन राज्य व्यवस्था म.प्र. पंचायत अधिनियम 1993–94